संख्या- 320 /2023/6095/चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 01 नवम्बर, 2023

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा में होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3033/सं0नि0-15(55)/2023-24, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'मेरी माटी मेरा देश' अमृत कलश यात्रा में होने वाले व्यय धनराशि रू0 72,76,333/-(रूपये बहत्तर लाख छिहत्तर हजार तीन सौ तैतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन /वास्तविक बिल वाउचर के आधार पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित की जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य कार्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) उक्त व्यय धनराशि की उपलब्धता की सीमा तक ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(7) समस्त कार्यो के फोटोग्राफ, वीडियो आदि का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय व शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2205-कला तथा संस्कृति- 800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 320 /2023/6095/ चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in